न्यायालय अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

पीठासीन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. देवकी नन्दन शर्मा पुत्र श्री प्रभू दयाल शर्मा निवासी बी–108, नन्दपुरी कालोनी, हवा सड़क, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक
2. मोहित शर्मा पुत्र श्री देवकी नन्दन शर्मा निवासी बी–108, नन्दपुरी कालोनी, हवा सड़क जयपुर।
3. श्रीमती बबली शर्मा पत्नी श्री मोहित शर्मा निवासी बी–108, नन्दपुरी कालोनी, हवा सड़क जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक दिनांक 07.03.2022 उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 122/2021 ब उनवानी देवकी नन्दन शर्मा बनाम मोहित शर्मा व अन्य।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2 उपस्थित है।

निर्णय दिनांक **08.08.2022**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 122/2021 ब उनवानी देवकी नन्दन बनाम मोहित शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

4. अपीलार्थी प्रतिनिधि ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा एक परिवाद माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी के तीन पुत्र क्रमशः ऋषि कुमार मोहित शर्मा एवं अनुराग शर्मा है। अपीलार्थी द्वारा अपने पुत्र मोहित शर्मा के क्रम में अंकित किया गया है कि उसके द्वारा प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ अक्सर लडाई झगड़ा व धक्का मुक्की आये दिन करते रहते है। मोहित शर्मा स्वयं राजस्थान पत्रिका में पत्रकार है तथा उसकी पत्नी ने वकालत की डिक्री ले रखी है । अपीलार्थी अपने पुत्र व पुत्रवधु से मकान बी–108 नन्दपुरी कालोनी हवा सडक जयपुर को खाली कराना चाहता है तथा अपनी सम्पत्ति से बेदखल करना चाहता है। अतः अपीलार्थी के तीनों पुत्रों से ही मकान खाली कराया जावे। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जा कर आदेश पारित किया गया कि " अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह तथा उसकी पत्नी प्रार्थी के साथ सदव्यवहार करें, लड़ाई झगड़ा आदि न करे। प्रार्थी व अप्रार्थी आपस मे प्रेमपूर्ण वार्ता करे जिससे परस्पर दूरिया बढने की सम्भावना न रहे। अप्रार्थी इस वृद्वावस्था में पूर्ण रूप से सेवा करे। मृदुभाषा का प्रयोग करे। प्रार्थी स्वयं को भी सलाह दी जाती है कि इस उम्र में सदैव अपने सभी परिवार जन के साथ सस्नेह जीवनयापन करे। अप्रार्थीगण को यह भी आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी के साथ सद्व्यवहार करें। गलत शाब्दिक शब्दों का, बोली भाषा का प्रयोग नहीं करे। न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर उक्त मकान को खाली कराया जा सकेगा। उक्त की पालना हेतु संबंधित थानाधिकारी को प्रति प्रेषित कर लेख है कि बीट अधिकारी के माध्यम से वास्तविक वस्तु स्थिति की जानकारी समय समय पर ली जावे तथा न्यायालय को भी सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया । " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उक्त आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वीकार्य रूप से राजस्थान पत्रिका समुह में पत्रकार है तथा अपनी पहुंच का दुरूपयोग करते हुए न्यायालय परिसर में अपने पत्रकार मित्रों के साथ पहुंच कर न्यायिक अधिकारी पर दबाव बनाया व प्रभावित करने का प्रयास किया है। अपीलार्थी द्वारा अपने परिवार मे बताया गया है कि उसके पुत्र मोहित शर्मा व मोहित शर्मा की पत्नी बबली शर्मा द्वारा अपीलार्थी व उसकी पत्नी के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जाता रहा है व मारपीट भी की जाती रही है करीब 3 वर्ष पूर्व भी प्रत्यर्थी की पत्नी बबली शर्मा द्वारा अपीलार्थी द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया जिसके कारण अपीलार्थी का ब्लड प्रेशर उच्च हो गया तथा उसकी बाई आंख की रोशनी भी प्रभावित हो गई। उक्त तथ्य अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पक्ष रखने के बावजूद भी अपीलार्थी के हित में कोई प्रभावी आदेश नहीं देकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि उक्त मकान संख्या बी–108, नन्दपुरी कालोनी हवा सडक जयपुर अपीलार्थी के स्वामित्व व अधिपत्य की सम्पत्ति है जिसके समस्त मालिकाना हक अपीलार्थी के पास ही है तथा अपीलार्थी का सम्पूर्ण अधिकार है कि वह अपने उक्त मकान में किस व्यक्ति को रहने की इजाजत दे और किसे नहीं। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश से अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थी की आय 35,000/–रूपये होना मान कर उसे प्रत्यर्थी से कोई मौद्रिक अनुतोष नहीं दिलाया, जबकि अधीनस्थ अधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के पैदा होने के बाद से उसकी युवा अवस्था तथा आय अर्जित करने के समय तक अपीलार्थी द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

पिता की सम्पूर्ण भूमि का निभाई गई। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 की स्कूल खर्चे से ले कर उसके खाने पीने बीमार होने तक अपनी कठिन परिश्रम से की गई गाडी कमाई का एक एक रूपया उस पर न्यौछावर करने हेतु तत्पर रहा अपितु प्रत्यर्थी का विवाह होने के बाद भी प्रत्यर्थी संख्या 2 अन्य शहर पाली व उदयपुर में रह कर आजीविका अर्जित कर रहा था उसके बावजूद भी अपनी पेन्शन मे से उसको खर्चा दे कर उसको आर्थिक संबंल दे कर अपने पिता होने का फर्ज निभाया, लेकिन आज अपीलार्थी को अपनी वृद्वावस्था में जब वह ठीक से चलने फिरने में असमर्थ है तथा अपीलार्थी प्रत्यर्थी से मात्र यह उम्मीद कर रहा है कि अपीलार्थी के जीवन के अन्तिम पड़ाव में से उसे सुख शान्ति से जीवन व्यतीत करने दे, लेकिन फिर भी प्रत्यर्थी द्वारा लगातार दुर्व्यवहार व गाली गलौच करके अपीलार्थी के जीवन को अशांत बनाये हुए है। इसलिए भी अधीनस्थ अधिकरण का आदेश सरसरी तौर पर निरस्त किया जाकर संशोधित किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत किये जबाब में दिये गये झूंठे तथ्यों को जबाब उल जबाब व साक्ष्य भी प्रस्तुत करना चाहा लेकिन अपीलार्थी के बार बार आग्रह करने पर भी न्यायालय द्वारा अपीलार्थी परिवादी को अवसर नहीं दिया गया बल्कि तुरत फुरत मे अपीलार्थी के परिवाद का निस्तारण कर दिया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 को संशोधित किया जाकर प्रत्यर्थीगण 2 व 3 मय उनके परिवार सहित अपीलार्थी की सम्पत्ति से बेदखल करने एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से उचित भरण पोषण राशि दिलाई जाने के आदेश फरमाये जावें।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 के अन्य दो भाईयों की बिनाह पर प्रस्तुत की गई है जो कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को घर से निकाल कर सम्पूर्ण घर को हडपने की फिराक में है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ अधिकरण के आदेश के उपरान्त प्रत्यर्थी संख्या 2 की तबियत खराब हो गई व जांच में यह पाया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 कैन्सर से ग्रसित है, जिसे बचाने के लिए तुरन्त ऑपरेशन किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी संख्या 2 का ऑपरेशन दिनांक 30.05.2022 को सरकारी अस्पताल में करवाया गया व उसके बाद प्रत्यर्थी सख्या 3 को सम्पूर्ण बेडरेस्ट बताया गया ऐसी स्थिति में यदि प्रत्यर्थीगण को घर से निकाला जाता है तो ना सिर्फ व बेघर हो जायेगें बल्कि उनके जीवन भी संकट मे आ जावेगा। यही नहीं प्रत्यर्थी संख्या 2 के दोनो भाईयों द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को डराने धमकाने व परेशान करने के आशय से कई कुख्यात अपराधियों को प्रत्यर्थी संख्या 2 के पीछे लगा रखा है जो कि अप्रार्थी संख्या 2 को निरन्तर जान से मारने की धमकियां दे रहे है। इस सन्दर्भ मे प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा कई बार संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी लिखित शिकायत दे कर सूचित किया गया है। उक्त प्रकरण भाईयों के बीच चल रहे सम्पत्ति के विवाद को अनुचित तरीके से निपटाने के आशय से शुरू करवाया गया है कि जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 के दोनों भाईयों द्वारा अपीलार्थी को अपनी बातों में फंसा कर प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्व यह कार्यवाही करवाई की जा रही है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कानून का दुरूपयोग कर प्रत्यर्थीगण के विरूद्व कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। प्रत्यर्थी के माता पिता की कुल तीन संतान है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के अतिरिक्त एक बडा भाई ऋषि शर्मा उर्फ पिन्टू व एक छोटा भाई अनुराग शर्मा उर्फ टीनू है। प्रत्यर्थी एक का समस्त परिवार वर्तमान मे बी–168 ए नन्दपुरी कालोनी हवा सडक जयपुर पर निवास करता है जो कि एक तीन मंजिला ईमारत है जिसे प्रत्यर्थी संख्या एक व उसके भाईयों तथा पिता द्वारा मिल जुल कर वर्ष 2018 में पुनः निर्मित कर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

बनाया गया है। इस पुन: निर्माण में प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा भी अपनी जीवन भर की आय व अपने व निकटतम रिश्तेदारों व दोस्तों से पैसे उधार लेकर प्रत्यर्थी को सुपुर्द कर इस मकान के निर्माण में लाखों रूपये की बडी राशि का सहयोग दिया है। यहां यह स्पष्ट कहना उचित है कि प्रत्यर्थी का छोटा भाई अनुराग शर्मा एक आदतन शराबी है इसकी आदतों से परेशान होकर प्रत्यर्थी संख्या एक के पिता द्वारा कई दफा अनुराग शर्मा के विरूद्ध पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। असल में प्रत्यर्थी के भाईयों के मध्य कई दिनों से विवाद चल रहा है व यह दोनों भाई एक जुट होकर प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी को इस सम्पत्ति से निकालने पर आमादा है व प्रत्यर्थी को बेघर करना चाहते है। अपने इसी आशय के चलते इनके द्वारा प्रत्यर्थी को इसके घर व पिताजी की अन्य सम्पत्ति से बेघर करने व इस सम्पत्ति को स्वयं हड़पने के आशय से प्रत्यर्थी के पिता को प्रत्यर्थी के विरूद्ध मिथ्या कथन कर भडकाया जा रहा है व उनकी वृद्धावस्था का फायदा उठा कर उनका ब्रेनवाश कर प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध झूंठी शिकायत दर्ज कराई जा रही है जबकि पिछले 24 वर्षों से प्रत्यर्थी व प्रत्यर्थी के पिताजी के मध्य कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है और ना ही प्रत्यर्थी के पिता जी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध कोई शिकायत ही दर्ज कराई गई है, परन्तु गत कुछ माह से प्रत्यर्थी के भाईयों के द्वारा प्रत्यर्थी के पिताजी को प्रत्यर्थी के विरूद्ध भड़का कर यह समस्त शिकायतें दर्ज करवाई जा रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्रीमान की आखों में धूल झोकने के आशय से यह प्रार्थना पत्र दोनों भाईयों द्वारा प्रत्यर्थी के पिता को एक राय हो कर यह कार्यवाही केवल मात्र प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी को इस घर से बेघर करने के आशय से की जा रही है जिससे कि वह प्रत्यर्थी को इस घर से निकाल प्रत्यर्थी के पिता जी सम्पूर्ण सम्पत्ति को हड़प सकें । प्रत्यर्थी संख्या एक के पिता जे के लोन अस्पताल से सीनियर रेडियोग्राफर के पद से सेवा निवृत्त है व वर्तमान में उन्हें हर माह लगभग 35,000/–रूपये की पेंशन प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार अप्रार्थी की माता श्रीमती पुष्पा शर्मा भी राज्य सरकार से वरिष्ठ अध्यापिका के पद से सेवा निवृत्त हुई है। उन्हें हर माह लगभग 40,000/–रूपये की पेन्शन प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रत्यर्थी के माता व पिता को लगभग 80,000/–रूपये की मासिक आय राज्य सरकार से पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रथम, अपीलार्थी देवकी नन्दन स्वयं जे.के. लोन अस्पपाल के सीनियर रेडियोग्राफर के पद से एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा शर्मा वरिष्ठ अध्यापिक के पद से सेवा निवृत्त है, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में पेन्शन राशि मिल रही है। बीमार होने पर राज्य सरकार द्वारा नि: शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा चाहा गया भरण पोषण राशि दिलाने का अनुतोष स्वीकार नहीं है। द्वितीय, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिये जाने का आरोप लगाते हुये अपीलार्थी ने बी–108, नन्दपुरी कालोनी हवा सडक जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल करने का निवेदन किया है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष दिनांक 09.12.2021 को परिवाद पेश किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा नियम–2010 की धारा 10 "Reference to Conciliation Officer" की पालना नहीं की जाकर दिनांक 07.03.2022 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिये जाने के कथन की पुष्टि होती है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा।" सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने पर हम मामले में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात तदनुसार नये सिरे से निर्णय सादिर किया जाना उचित समझते है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

8. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 08.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर